छ.ग. शासन द्वारा मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन

कार्यालय-प्लॉट नं. ओ/6, दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.) 492014

Email : cgfederation2019@gmail.com

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजिस्टर्ड

(पंजीयन क्रमांक-122202017067 रायपुर दिनांक 16/01/2020)

सुभाष मिश्र
संरक्षक
मो.नं.-9425203900

कमल वर्मा
प्रांतीय संयोजक
प्रदेश अध्यक्ष - छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ
मो.नं.-9425509920, 7974388672

पत्र क्र. छ.ग.क.अ.फे./....835..   रायपुर, दिनांक ..30/07/2026

प्रति,

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
इंद्रावती भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषय: उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की समय–सारिणी में संशोधन कर शनिवार को प्रातःकालीन शाला संचालन तथा युक्तियुक्तकरण के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की समय–सारिणी में एकरूपता किए जाने बाबत्।

संदर्भः छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 1640/2414/2025/20–तीन नवा रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2025।

...00..

महोदय,

सविनय निवेदन है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना है कि युक्तियुक्तकरण एवं संकुल स्तरीय व्यवस्था लागू होने के उपरांत प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध होकर संचालित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न स्तरों के विद्यालयों के लिए अलग–अलग समय–सारिणी निर्धारित होने से शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं प्रबंधन संबंधी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग,छ.ग. शासन द्वारा विद्यालय संचालन संबंधी जारी संदर्भित आदेश एवं वर्तमान में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 18 जून 2026 को जारी समय–सारिणी के कारण भी संशय की स्थिति निर्मित हो गई है।

वर्तमान समय में विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर नियमित शिक्षण कार्य के अतिरिक्त विभिन्न विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन, ऑनलाइन कार्य, अभिलेखों का संधारण, परीक्षा संबंधी दायित्व, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य, संकुल स्तरीय समन्वय, पालक–शिक्षक बैठकें तथा अन्य शासकीय दायित्वों का कार्यभार निरंतर बढ़ता जा रहा है। अलग–अलग समय–सारिणी होने के कारण इन समस्त कार्यों का समन्वित एवं प्रभावी संचालन कठिन हो जाता है।

यदि शनिवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संचालन भी प्रातःकालीन पाली में किया जाता है तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की समय–सारिणी में एकरूपता सुनिश्चित की जाती है, तो विद्यार्थियों के अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, शेष समय में विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य, शैक्षणिक समीक्षा, संकुल स्तरीय बैठकें, विभागीय प्रतिवेदन, अभिलेखों का संधारण, आगामी सप्ताह की शैक्षणिक योजना तथा अन्य आवश्यक विभागीय कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संपादित किए जा सकेंगे। इससे विद्यालय प्रबंधन की कार्यकुशलता, प्रशासनिक दक्षता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो प्रदेश के 134 मान्यता प्राप्त एवं गैर–मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि युक्तियुक्तकरण एवं संकुल व्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1640/2414/2025/20–तीन, नवा रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2025 के अनुरूप राज्य के समस्त विद्यालयों में शाला संचालन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश शीघ्र जारी करने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

आपका,
30/7/2026
(कमल वर्मा)
प्रांतीय संयोजक एवं
प्रदेश अध्यक्ष–छ.ग. राजपत्रित अधिकारी संघ